भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1934
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आकांक्षी जिले

1934. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकांक्षी जिलों में गांवों के विकास के लिए नए बजट में नई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकांश गांवों से समुचित संपर्क हो, कितना आवंटन किया गया है; और
(ग) सरकार द्वारा कम साक्षरता वाले गांवों को उनके विकास और उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में, सरकार ने एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन' कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल विकास, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर कृषि में अल्प-रोजगार की समस्या का समाधान करना है। इस कार्यक्रम का फोकस ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर होगा, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि प्रवासन केवल विकल्प हो, आवश्यकता न हो। ग्रामीण विकास विभाग इस कार्यक्रम के लिए अग्रणी (लीड) विभाग है, साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल होंगे।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025-26 में 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम को अभिसरण में कार्यान्वित किया जाना है और इसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिले शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, उन्नत सिंचाई सुविधाओं और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की सुविधा के माध्यम से 1.7 करोड़ किसानों की सहायता करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत, क्लस्टर सुविधा परियोजना (सीएफपी) 01 अप्रैल 2020 से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बेहतर नियोजन के माध्यम से 108 आकांक्षी जिलों के 231 ब्लॉकों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के 46 ब्लॉकों में त्वरित विकास के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

(ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है जो कोर नेटवर्क में सड़कों से न जुड़ी पात्र बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एकबारगी विशेष पहल है।

तत्पश्चात, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई के दायरे में पीएमजीएसवाई-II, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई-III नामक नए कार्यक्रम/घटक जोड़े गए। इसकी शुरूआत से दिनांक 07.03.2025 तक कुल 77,403 किलोमीटर सड़क को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 74,969 किलोमीटर सड़क का निर्माण पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के तहत किया गया है।

दिनांक 11.09.2024 को पीएमजीएसवाई-IV नामक एक नया घटक शुरू किया गया है जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V**, आकांक्षी जिले/ब्लॉक,** रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ की आबादी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह योजना 70,125 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2024-25 से 2028-29 तक कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें सड़कों से न जुड़ी 25,000 बस्तियों को सड़क संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ गहन समन्वय से कार्य कर रही है।

(ग): सरकार, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और संपर्क कार्यक्रमों जैसे स्थानीय अभियानों के माध्यम से विभिन्न कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। सरकारी पहलों की जानकारी प्रसारित करने के लिए मोबाइल ऐप और एसएमएस सेवाओं जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रयास भी किए गए हैं। इसके अलावा, इन कार्यक्रमों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक नेताओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जा रहा है।

******